रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 836] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2015/वैशाख 3, 1937
No. 836] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2015/VAISAKHA 3, 1937

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

का.आ. 1071(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 52 के उप अनुच्छेद (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं श्रम मंत्रालय में का.आ. 3450(अ), दिनांक 21 नवंबर, 2013 की भारत सरकार की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा निदेश देती है कि निधि से संबंधित सभी संचयी वृद्धि को निम्नलिखित पद्धति के अनुसार निवेश किया जाना चाहिए यथा:-

श्रेणी	निवेश की पद्धति	निवेश की जाने वाली प्रतिशत राशि
(i)	**सरकारी प्रतिभूतियां तथा संबंधित निवेश** (क) सरकारी प्रतिभूतियां, (ख) अन्य प्रतिभूतियां [प्रतिभूति संविदा (विनियमन), 1956 की धारा 2(ज) में यथा परिभाषित प्रतिभूतियां] जिसके मूलधन और उस पर ब्याज की पूरी और बिना शर्त गारंटी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। प्रतिभूतियों के इस उप-श्रेणी के अंतर्गत निवेशित पोर्टफोलियो निधि के कुल पोर्टफोलियो के 10% अधिक से नहीं होगा। (ग) म्यूचअल फंड की यूनिट सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए यथा निर्धारित निधियों के अनुसार स्थापित की जाएगी तथा इनका विनियमन भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमय बोर्ड	**न्यूनतम 45% तथा 50% तक**

	द्वारा किया जाएगा। बशर्ते कि ऐसे म्यूचअल फंडों में निवेश किया गया पोर्टफोलियो किसी भी समय कुल पोर्टफोलियो के 5% से अधिक नहीं होगा और इनमें किया गया नया निवेश वर्ष के दौरान नई अभिवृद्धि के 5% से अधिक नहीं होगा।	
(ii)	**ऋण लिखत तथा संबंधित निवेश** (क) सूचीबद्ध (या नए निर्गम के मामले में सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित) बैंकों तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं सहित निगमित निकायों द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के अंतर्गत यथा परिभाषित 'सरकारी वित्तीय संस्थान'), जिसकी न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि निवेश की तारीख से तीन वर्ष है। (ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत जारी बासेल-III टियर-I बांड: बशर्ते कि बांड के आरंभिक प्रस्ताव के मामले में निवेश केवल ऐसे टियर-I बांड में किया जाएगा जिन्हें सूचीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है। बशर्ते कि किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऐसे बांड में गौण बाजार से निवेश तभी किया जाएगा जब ऐसे टियर-I बांड सूचीबद्ध हों और जिनकी ट्रेडिंग नियमित रूप से होती हो। किसी भी समय इस उप-श्रेणी में किए गए निवेश का कुल पोर्टफोलियो निधि के समग्र पोर्टफोलियो के 2% से अधिक नहीं होगा। इस उप-श्रेणी में आरंभिक प्रस्ताव में कोई निवेश आरंभिक प्रस्ताव के 20% से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, किसी भी समय निधि द्वारा धारित किसी बैंक के टियर-I बांड का समग्र मूल्य उस बैंक द्वारा जारी ऐसे बांड के 20% से अधिक नहीं होगा। (ग) इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलेपमेंट, इंटर नेशनल फाइनेंस कारपोरेशन तथा एशियन डेवलेपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा जारी रूपया बांड जिनकी परिपक्वता कम से कम तीन वर्ष शेष हो। (घ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी मियादी जमा रसीद, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम न हो जो हाल के वर्षों के संबंध में कानून के अंतर्गत उनके द्वारा प्रकाशित किए जाने हेतु यथापेक्षित प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरी करती हो:- (i) विगत तीन वित्तीय वर्षों में लाभ घोषित किया हो; (ii) जोखिम भारित आस्ति अनुपात की तुलना में न्यूनतम पूंजी 9% या आरबीआई के मौजूदा मानदंडों द्वारा अधिदेशित अनुपात, जो भी अधिक हो, बनाए रखा हो; (iii) निवल अनर्जक आस्ति निवल अग्रिम के 4% से अधिक न हो; (iv) 200 करोड़ रुपए से कम न्यूनतम निवल आस्ति न हो। (ङ.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा यथा विनियमित ऋण म्यूचुअल फंड की इकाईयां। बशर्ते कि ऐसे म्यूचअल फंड में निवेश किया गया पोर्टफोलियो किसी भी समय कुल	**न्यूनतम 35% तथा 45% तक**

	पोर्टफोलियो के 5% से अधिक नहीं होगा और इनमें किया गया नया निवेश वर्ष के दौरान नई अभिवृद्धि के 5% से अधिक नहीं होगा। (च) निम्नलिखित अवसंरचना संबद्ध ऋण लिखत: (i) अवसंरचना के निर्माण या संचालन या रख-रखाव या निम्न लागत वाले आवास के निर्माण या वित्तपोषण के व्यवसाय में लगे सूचीबद्ध (या नए निर्गम के मामले में सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित) कारपोरेट निकाय द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां। इसके अलावा, इस श्रेणी में भारतीय रेल या किसी अन्य कारपोरेट निकाय जिसमें इनकी मुख्य भागीदारी हो, द्वारा जारी प्रतिभूतियां भी इसमें शामिल होंगी। इस श्रेणी में भारत सरकार के किसी प्राधिकरण जो कारपोरेट निकाय न हो और जिसका गठन मुख्यत: अवसंरचना के संवर्धन एवं विकास के लिए किया गया है, के द्वारा जारी प्रतिभूतियां भी शामिल होंगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अवसंरचना व्यवसाय में लगे कारपोरेट निकाय द्वारा जारी किसी प्रतिभूति के संबंध में केंद्र सरकार, भारतीय रेल या केंद्र सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अवसंरचनात्मक दायित्व या सुविधा पत्र, जो सुविधा पत्र या लिए गए दायित्व की शर्त के बावजूद इसे उपर्युक्त श्रेणी (i) (ख) के अंतर्गत प्रतिभूति के रूप में शामिल करने में असफल रहता है, को इस उप-श्रेणी के अंतर्गत पात्र प्रतिभूति माना जाएगा। (ii) किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी अवसंरचना तथा सस्ते आवासीय बांड, जो उपर्युक्त (ii) (घ) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है। (iii) अवसंरचना ऋण निधि जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में संचालित तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित हो, द्वारा जारी सूचीबद्ध (या नए निर्गम के मामले में सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित) प्रतिभूतियां। (iv) अवसंरचना ऋण निधि, जो म्यूचुअल फंड के रूप में संचालित तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित हो, द्वारा जारी सूचीबद्ध (या नए निर्गम के मामले में सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित) यूनिट। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अपवाद को छोड़कर, इस उप-श्रेणी (च) के प्रयोजन हेतु किसी क्षेत्र को भारत सरकार की सुमेलित अवसंरचना उपक्षेत्र मास्टर सूची के अनुसार अवसंरचना के भाग के रूप में माना जाएगा। बशर्ते कि श्रेणी संख्या (ii) की उप-श्रेणी (क), (ख) और (च) (i) से (iv) के अंतर्गत निवेश उन्हीं प्रतिभूतियों में किया जाएगा जिनकी न्यूनतम रेटिंग भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियमन, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत कम से कम दो ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा एए या प्रयोज्य रेटिंग पैमाने में समकक्ष रेटिंग हो। बशर्ते कि उप-श्रेणी (च) (iii) के मामले में रेटिंग गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संबंध में तथा उप-श्रेणी (च) (iv) के संबंध में रेटिंग पात्र प्रतिभूति के रूप में किए गए रेटिंग निधि की योजना के उपर्युक्त निवेश ग्रेड में निवेश के संबंध में होगा। बशर्ते औरकि यदि प्रतिभूतियां/कंपनियां जिनकी रेटिंग दो से अधिक रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई हो, के मामले में सभी रेटिंग में से दो न्यूनतम रेटिंग पर विचार किया जाएगा। बशर्ते कि इस श्रेणी के अंतर्गत उपर्युक्त यथा निर्दिष्ट न्यूनतम एए रेटिंग, चूक के जोखिम के मामले में एए से निम्न रेटिंग निवेश रखने वाली प्रतिभूतियां, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) के साथ पूर्णत: कवर हैं तथा जिनका क्रय अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ किया गया है, स्वीकार्य होंगी।	

	उप श्रेणी (ग) के संबंध में घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा एए की एकल रेटिंग या उपर्युक्त रेटिंग स्वीकार्य होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त श्रेणी (i) (ख) के अंतर्गत कवर की गई ऋणप्रतिभूतियों को इस श्रेणी (ii) से बाहर रखा गया है।	
(iii)	**लघु अवधि ऋण लिखत तथा संबंधित निवेश** धन बाजार लिखत बशर्ते और कि कारपोरेट निकाय द्वारा जारी वाणिज्यिक दस्तावेज में निवेश केवल उन्हीं लिखत में किया जाएगा जिनकी न्यूनतम रेटिंग भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में पंजीकृत कम से कम दो रेटिंग एजेंसियों द्वारा ए1+ हो। बशर्ते कि यदि वाणिज्यिक दस्तावेज की रेटिंग दो से अधिक रेटिंग एजेंसियों द्वारा की जाती है तो दो न्यूनतम रेटिंग पर विचार किया जाएगा। बशर्ते और कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी एक वर्ष तक की अवधि के जमा-प्रमाणपत्रों के इस उप-श्रेणी में निवेश के संबंध में बैंकों को उक्त वर्ग (ii) (घ) में वर्णित सभी शर्तों को पूरा करना होगा। (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित नकदी म्यूचुअल फंड ईकाइयां। (ग) सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी एक वर्ष की अवधि तक की सावधि जमा रसीदें, जो उपर्युक्त के अनुसार वर्ग (ii) (घ) में वर्णित शर्तों के अनुरूप हों।	**5% तक**
(iv)	**इक्विटी एवं संबंधित निवेश** बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) अथवा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध निगमित संकायों के शेयर, जिनमें:- (i) निवेश की तारीख तक कम से कम 5000 करोड़ रुपये तक की राशि का बाजार पूंजीकरण; एवं (ii) दोनों में से किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार, विद्यमान शेयरों के साथ व्युत्पादित। (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित ऐसे म्यूचुअल फंडों की इकाइयां, जिनका बीएसई अथवा एनएसई में सूचीबद्ध निगमित संकायों के शेयरों में कम से कम 65% का निवेश हो। बशर्ते कि ऐसे म्यूचुअल फंडों में निवेश की गयी सकल राशि किसी भी समय कुल कारोबार राशि के 5% से अधिक न हो तथा ऐसे म्यूचुअल फंडों में निवेश की गयी नयी राशि भी वर्ष के दौरान कारोबार में वृद्धि के 5% से अधिक न हों। (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफएस)/इन्डेक्स फंड वस्तुत: बीएसई सेंसेक्स इन्डेक्स अथवा एनएसई निफटी 50 इंडेक्स में से किसी एक के कारोबार को ही दर्शाते हैं। (घ) सेबी विनियमित म्यूचुअल फंड द्वारा जारी ईटीएफएस विशेष रूप से निगमित संस्थाओं में भारत सरकार की शेयरधारिता के विनिवेश हेतु तैयार किये गये हैं। (ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित एक्सचेंज कारोबार व्युत्पन्नक जो किसी भी अनुमेय सूचीबद्ध स्टॉक अथवा इंडेक्स में केवल बचाव हेतु शामिल हैं। बशर्ते कि करार की शर्तों के अनुसार व्युत्पन्नकों में निवेश की गयी राशि उक्त उपवर्ग (क) से (घ) में निवेश की गयी कुल राशि के 5% से अधिक न हो।	**न्यूनतम 5% और 15% तक**

(v)	समर्थित परिसम्पत्तियां, गठित ट्रस्ट एवं विविध निवेश (क) वाणिज्यिक बंधक आधारित प्रतिभूतियां अथवा आवासीय बंधक आधारित प्रतिभूतियां। (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों द्वारा जारी इकाइयां। (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित परिसम्पत्ति समर्थित प्रतिभूतियां। (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित मूलभूत निवेश ट्रस्टों की इकाइयां। बशर्ते कि वर्ग सं. (v) के तहत यह निवेश केवल सूचीबद्ध लिखतों अथवा सूचीबद्ध किए जाने हेतु प्रस्तावित नये निर्गमों में हो। बशर्ते कि इसके अलावा यह निवेश इस वर्ग के तहत केवल ऐसी प्रतिभूतियों में ही किया जाएगा जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियमन, 1999 के तहत प्रतिभूति एवं विनियमय बोर्ड द्वारा पंजीकृत कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा लागू रेटिंग के पैमाने पर न्यूनतम एए अथवा समकक्ष रेटिंग प्राप्त हो। बशर्ते और कि यदि प्रतिभूतियों/कम्पनियों की रेटिंग दो से अधिक एजेन्सियों द्वारा की गयी है तो न्यूनतम रेटिंग पर विचार किया जाएगा।	5% तक

2. बढ़ी हुई नयी निधि को निवेश संरचना में विनिर्दिष्ट अनुमेय वर्गों में ही निवेश किया जाएगा और यह निवेश प्रत्येक वर्ग में निवेश की गयी राशि की विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुमेय प्रतिशतता के अनुरूप ही होगा। इसके साथ ही अनुमेय निवेशों के विविध उप वर्गों पर लागू अन्य प्रतिबंधों का भी अनुपालन किया जाएगा।

3. निधियों में नए संवर्धन पूर्व में अनिवेशित निधियों तथा प्राप्तियों जैसे निधियों में अंशदान, लाभांश/ब्याज/कमीशन, पूर्व निवेशों की परिपक्वता राशियों का योग होगा जो कि वित्त वर्ष के दौरान बाध्यकारी व्यय/निकास द्वारा कम हो गया हो।

4. विक्रय विकल्प की प्रक्रिया, अवधि अथवा आस्ति स्विच अथवा परिपक्वता से पूर्व किसी आस्ति के व्यापार से प्राप्त होने वाली आय का निवेश उपर वर्णित की गई अनुमत श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में उस तरीके से ताकि किसी समय पर श्रेणी के अंतर्गत आस्तियों का प्रतिशत उस श्रेणी के लिए विनिर्धारित अधिकतम सीमा तथा साथ ही उप-श्रेणियों के लिए विनिर्धारित सीमा, यदि हो, से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, आरबीआई द्वारा अधिदेशित किसी सरकारी ऋण स्विच के कारण आस्ति स्विचइस प्रतिबंध के तहत कवर नहीं होगा।

5. खरीद-बिक्री अनुपात (वर्ष में खरीदी-बेची गयी प्रतिभूतियों की कीमत/वर्ष के प्रारम्भ तथा अंत में पोर्टफोलियो की औसत कीमत) दो से अधिक नहीं होना चाहिए।

6. यदि उपर वर्णित लिखतों में से किसी एक की रेटिंग उस लिखत को क्रय करते समय उसमें निवेश हेतु विनिर्धारित न्यूनतम अनुमत निवेश ग्रेड से गिर जाती है, जिसकी पुष्टि किसी ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा की गयी हो, तो अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित वाले तरीके में यथा उचित विकास के विकल्प पर विचार करके उसका उपयोग किया जाएगा।

7. इन दिशानिर्देशों के लागू होने पर समय से और उचित नियोजन के माध्यम से प्रत्येक आगामी वित्त वर्ष के लिए ऊपर विनिर्धारित निवेश पैटर्न अलग-अलग हासिल किया जाएगा।

8. निधियों का निवेश केवल लाभार्थियों के लाभ को ध्यान में रखते हुए, नजदीक ही किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी वित्त वर्ष में नए संवर्धनों के 5% से अधिक निवेश (यहां वर्णित ऐसी कंपनियों/संगठनों में समग्र) किसी कंपनी/संगठन की प्रतिभूतियों अथवा किसी कंपनी/संगठन जिसमें ऐसी कंपनी/संगठन पहली कंपनी/संगठन के कर्मचारियों के लाभ हेतु सृजित निधि द्वारा जारी प्रतिभूतियों के 10% से अधिक धारण करती है तथा ऐसे निवेशों का कुल आकार किसी भी समय निधि के

कुल पोर्टफोलियो से 5% से अधिक नहीं होगा। ऐसे मामलों में देय सावधानी हेतु विनिर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए तथा विचारार्थ प्रतिभूतियां इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत निवेशों के भीतर होनी चाहिए।

9.

i. विनिर्धारित पैटर्न के भीतर किसी न्यास/निधि की निधियों का विवेकपूर्ण निवेश/निधिन्यासियों का प्रत्ययी उत्तरदायित्व है तथा उसका सावधानीपूर्वक निर्वहन किया जाना आवश्यक है। तदनुसार निधियों के निवेश हेतु लिए गए निवेश निर्णयों हेतु न्यासी उत्तरदायी होंगे।

ii. निधि के प्रबंधन की लागत को नियंत्रित एवं वाजिब बनाने हेतु न्यासी उचित कदम उठाएंगे।

iii. न्यास यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश की प्रक्रिया जवाबदेह तथा पारदर्शी हो।

iv. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निधि द्वारा किसी विशेष आस्ति में निवेश करते समय तथा उस अवधि के दौरान जब तक उसे निधि द्वारा धारित किया जाता है किसी विशेष आस्ति से हुड़े हुए जोखिमों का आकलन करते समय उचित सावधानी बरती गयी है। इस अधिसूचना में रेटिंग की यथा अधिदेशित आवश्यकता का उद्देश्य निवेशों से जुड़े जोखिम को केवल व्यापक सामान्य स्तर तक सीमित करना है। तदनुसार, किसी भी प्रकार से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि यह न्यूनतम विनिर्धारित रेटिंग को पूरा करने वाली किसी आस्ति में निवेश करने को स्वीकृति देती है अथवा निधि/न्यास द्वारा विनिर्धारित उचित सावधानी प्रक्रिया के लिए अनुकल्प है।

v. न्यास/निधि को किसी एक कंपनी, कारपोरेट समूह अथवा क्षेत्र में निवेश के केंद्रीकरण की रोकथाम हेतु विवेकपूर्ण दिशानिर्देश अपनाने अथवा लागू करने चाहिए।

10. यदि अपनी आस्तियों के प्रबंधन हेतु निधि ने पेशेवर निधि/आस्ति प्रबंधकों की सेवाएं ली हों, जिसे प्रत्येक लेन-देन की कीमत के आधार भुगतान किया जा रहा हो, उनके द्वारा, वर्णित श्रेणियों में से किसी एक म्यूचुअल फंड अथवा ईटीएफ अथवा इंडेक्स निधियों में निवेश की गयी निधियों की लागत उनको देय भुगतान की गणना करके पहले ही घटा दी जाएगी ताकि लागत के दोहरेपन से बचा जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती जाएगी कि देय शुल्क को बढ़ाने के उद्देश्य से एक ही निवेश को बार-बार न कर दिया जाए। इस संबंध में श्रेणी III लिखतों में निवेशों के लिए कमीशन को विशेष रूप से सावधानीपूर्वक विनियमित किया जाएगा।

[फा. सं. जी-20031/1/2007/एस.एस.-II (पार्ट)]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2015

S.O. 1071(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 52 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3450(E), dated the 21st Nov. 2013 the Central Government hereby directs that all incremental accretions belonging to the Fund shall be invested in accordance with the following pattern namely :—

Category	INVESTMENT PATTERN	Percentage amount to be invested
(i)	**Government Securities and Related Investments** (a) Government Securities, (b) Other Securities {'Securities' as defined in section 2(h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956} the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government. The portfolio invested under this sub-category of securities shall not be in excess of 10% of the total portfolio of the fund. (c) Units of Mutual Funds set up as dedicated funds for investment in Govt. securities and regulated by the Securities and Exchange Board of India: Provided that the portfolio invested in such mutual funds shall not be more than 5% of the total portfolio at any point of time and fresh investments made in them shall not exceed 5% of the fresh accretions in the year.	**Minimum 45% and upto 50%**
(ii)	**Debt Instruments and Related Investments** (a) Listed (or proposed to be listed in case of fresh issue) debt securities issued by bodies corporate, including banks and public financial institutions ('Public Financial Institutions' as defined under Section 2 of the Companies Act, 2013), which have a minimum residual maturity period of three years from the date of investment. (b) Basel III Tier-I bonds issued by scheduled commercial banks under RBI Guidelines: Provided that in case of initial offering of the bonds the investment shall be made only in such Tier-I bonds which are proposed to be listed. Provided further that investment shall be made in such bonds of a scheduled commercial bank from the secondary market only if such Tier I bonds are listed and regularly traded. Total portfolio invested in this sub-category, at any time, shall not be more than 2% of the total portfolio of the fund. No investment in this sub-category in initial offerings shall exceed 20% of the initial offering. Further, at any point of time, the aggregate value of Tier I bonds of any particular bank held by the fund shall not exceed 20% of such bonds issued by that Bank. (c) Rupee Bonds having an outstanding maturity of at least 3 years issued by institutions of the International Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation and Asian Development Bank. (d) Term Deposit receipts of not less than one year duration issued by scheduled commercial banks, which satisfy the following conditions on the basis of published annual report(s) for the most recent years, as required to have been published by them under law: (i) having declared profit in the immediately preceding three financial years; (ii) maintaining a minimum Capital to Risk Weighted Assets Ratio of 9%, or mandated by prevailing RBI norms, whichever is higher; (iii) having net non-performing assets of not more than 4% of the net advances; (iv) having a minimum net worth of not less than Rs. 200 crores. (e) Units of Debt Mutual Funds as regulated by Securities and Exchange Board of India: Provided that fresh investment in Debt Mutual Funds shall not be more than 5% of the fresh accretions invested in the year and the portfolio invested in them shall not exceed	**Minimum 35% and upto 45%**

Category	INVESTMENT PATTERN	Percentage amount to be invested
	5% of the total portfolio of the fund at any point in time. (f) The following infrastructure related debt instruments: *(i) Listed (or proposed to be listed in case of fresh issue)* debt securities issued by body corporates engaged mainly in the business of development or operation and maintenance of infrastructure, or development, construction or finance of low cost housing. Further, this category shall also include securities issued by Indian Railways or any of the body corporates in which it has majority shareholding. This category shall also include securities issued by any Authority of the Government which is not a body corporate and has been formed mainly with the purpose of promoting development of infrastructure. It is further clarified that any structural obligation undertaken or letter of comfort issued by the Central Government, Indian Railways or any Authority of the Central Government, for any security issued by a body corporate engaged in the business of infrastructure, which notwithstanding the terms in the letter of comfort or the obligation undertaken, fails to enable its inclusion as security covered under category (i) (b) above, shall be treated as an eligible security under this sub-category. (ii) Infrastructure and affordable housing Bonds issued by any scheduled commercial bank, which meets the conditions specified in (ii)(d) above. (iii) Listed (or proposed to be listed in case of fresh issue) securities issued by Infrastructure debt funds operating as a Non-Banking Financial Company and regulated by Reserve Bank of India. (iv) Listed (or proposed to be listed in case of fresh issue) units issued by Infrastructure Debt Funds operating as a Mutual Fund and regulated by Securities and Exchange Board of India. It is clarified that, barring exceptions mentioned above, for the purpose of this sub-*category (f), a sector shall be treated as part of infrastructure* as per Government of India's harmonized master-list of infrastructure sub-sectors. Provided that the investment under sub-categories (a), (b) and (f) (i) to (iv) of this category No. (ii) shall be made only in such securities which have minimum AA rating or equivalent in the applicable rating scale from at least two credit rating agencies registered with Securities and Exchange Board of India under Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agency) Regulation, 1999. Provided further that in case of the sub-category (f) (iii) the ratings shall relate to the Non-Banking Financial Company and for the sub-category (f) (iv) the ratings shall relate to the investment in eligible securities rated above investment grade of the scheme of the fund. Provided further that if the securities / entities have been rated by more than two rating agencies, the two lowest of all the ratings shall be considered. Provided further that investments under this category requiring a minimum AA rating, as specified above, shall be permissible in securities having investment grade rating below AA in case the risk of default for such securities is fully covered with Credit Default Swaps (CDSs) issued under Guidelines of the Reserve Bank of India and purchased along with the underlying securities. Purchase amount of such Swaps shall be considered to be investment made under this category. For sub-category (c), a single rating of AA or above by a domestic or international rating agency will be acceptable. It is clarified that debt securities covered under category (i) (b) above are excluded from this category (ii).	

Category	INVESTMENT PATTERN	Percentage amount to be invested
(iii)	**Short-term Debt Instruments and Related Investments** Money market instruments: Provided that investment in commercial paper issued by body corporates shall be made only in such instruments which have minimum rating of A1+ by at least two credit rating agencies registered with the Securities and Exchange Board of India. Provided further that if commercial paper has been rated by more than two rating agencies, the two lowest of the ratings shall be considered. Provided further that investment in this sub-category in Certificates of Deposit of up to one year duration issued by scheduled commercial banks, will require the bank to satisfy all conditions mentioned in category (ii) (d) above. (b) Units of liquid mutual funds regulated by the Securities and Exchange Board of India. (c) Term Deposit Receipts of up to one year duration issued by such scheduled commercial banks which satisfy all conditions mentioned in category (ii) (d) above.	Upto 5%
(iv)	**Equities and Related Investments** Shares of body corporates listed on Bombay Stock Exchange (BSE) or National Stock Exchange (NSE), which have: (i) Market capitalization of not less than Rs. 5000 crore as on the date of investment; and (ii) Derivatives with the shares as underlying, traded in either of the two stock exchanges. (b) Units of mutual funds regulated by the Securities and Exchange Board of India, which have minimum 65% of their investment in shares of body corporates listed on BSE or NSE. Provided that the aggregate portfolio invested in such mutual funds shall not be in excess of 5% of the total portfolio of the fund at any point in time and the fresh investment in such mutual funds shall not be in excess of 5% of the fresh accretions invested in the year. (c) Exchange Traded Funds (ETFs)/Index Funds regulated by the Securities and Exchange Board of India that replicate the portfolio of either BSE Sensex Index or NSE Nifty 50 Index. (d) ETFs issued by SEBI regulated Mutual Funds constructed specifically for disinvestment of shareholding of the Government of India in body corporates. (e) Exchange traded derivatives regulated by the Securities and Exchange Board of India having the underlying of any permissible listed stock or any of the permissible indices, with the sole purpose of hedging. Provided that the portfolio invested in derivatives in terms of contract value shall not be in excess of 5% of the total portfolio invested in sub-categories (a) to (d) above.	**Minimum 5% and upto 15%**
(v)	**Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments** (a) Commercial mortgage based Securities or Residential mortgage based securities. (b) Units issued by Real Estate Investment Trusts regulated by the Securities and Exchange Board of India. (c) Asset Backed Securities regulated by the Securities and Exchange Board of India. (d) Units of Infrastructure Investment Trusts regulated by the Securities and Exchange	**Upto 5%**

1806 GI/15-3

Category	INVESTMENT PATTERN	Percentage amount to be invested
	Board of India. Provided that investment under this category No. (v) shall only be in listed instruments or fresh issues that are proposed to be listed. Provided further that investment under this category shall be made only in such securities which have minimum AA or equivalent rating in the applicable rating scale from at least two credit rating agencies registered by the Securities and Exchange Board of India under Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agency) Regulations, 1999. Provided further that in case of the sub-categories (b) and (d) the ratings shall relate to the rating of the sponsor entity floating the trust. Provided further that if the securities / entities have been rated by more than two rating agencies, the two lowest of the ratings shall be considered.	

2. Fresh accretions to the fund will be invested in the permissible categories specified in this investment pattern in a manner consistent with the above specified maximum permissible percentage amounts to be invested in each such investment category, while also complying with such other restrictions as made applicable for various sub-categories of the permissible investments.

3. Fresh accretions to the funds shall be the sum of un-invested funds from the past and receipts like contributions to the funds, dividend / interest / commission, maturity amounts of earlier investments etc., as reduced by obligatory outgo during the financial year.

4. Proceeds arising out of exercise of put option, tenure or asset switch or trade of any asset before maturity can be invested in any of the permissible categories described above in the manner that at any given point of time the percentage of assets under that category should not exceed the maximum limit prescribed for that category and also should not exceed the maximum limit prescribed for the sub-categories, if any. However, asset switch because of any RBI mandated Government debt switch would not be covered under this restriction.

5. Turnover ratio (the value of securities traded in the year/average value of the portfolio at the beginning of the year and at the end of the year) should not exceed two.

6. If for any of the instruments mentioned above the rating falls below the minimum permissible investment grade prescribed for investment in that instrument when it was purchased, as confirmed by one credit rating agency, the option of exit shall be considered and exercised, as appropriate, in a manner that is in the best interest of the subscribers.

7. On these guidelines coming into effect, the above prescribed investment pattern shall be achieved separately for each successive financial year through timely and appropriate planning.

8. The investment of funds should be at arms length, keeping solely the benefit of the beneficiaries in mind. For instance, investment (aggregated across such companies/organizations described herein) beyond 5% of the fresh accretions in a financial year will not be made in the securities of a company / organization or in the securities of a company/organization in which such a company / organization holds over 10% of the securities issued, by a fund created for the benefit of the employees of the first company / organization, and the total volume of such investments will not exceed 5% of the total portfolio of the fund at any time. The prescribed process of due diligence must be strictly followed in such cases and the securities in question must be permissible investments under these guidelines.

9.

i. The prudent investment of the Funds of a trust / fund within the prescribed pattern is the fiduciary responsibility of the Trustees and needs to be exercised with appropriate due diligence. The Trustees would accordingly be responsible for investment decisions taken to invest the funds.

ii. The trustees will take suitable steps to control and optimize the cost of management of the fund.

iii. The trust will ensure that the process of investment is accountable and transparent.

iv. It will be ensured that due diligence is carried out to assess risks associated with any particular asset before investment is made by the fund in that particular asset and also during the period over which it is held by the fund. The requirement of ratings as mandated in this notification merely intends to limit the risk associated with investments at a broad and general level. Accordingly, it should not be construed in any manner as an

endorsement for investment in any asset satisfying the minimum prescribed rating or a substitute for the due diligence prescribed for being carried out by the fund/trust.

v. The trust/fund should adopt and implement prudent guidelines to prevent concentration of investment in any one company, corporate group or sector.

10. If the fund has engaged services of professional fund/asset managers for management of its assets, payment to whom is being made on the basis of the value of each transaction, the value of funds invested by them in any mutual funds mentioned in any of the categories or ETFs or Index Funds shall be reduced before computing the payment due to them in order to avoid double incidence of costs. Due caution will be exercised to ensure that the same investments are not churned with a view to enhancing the fee payable. In this regard, commissions for investments in Category III instruments will be carefully regulated, in particular.

[F. No. G-20031/1/2007-SS-II (Pt.)]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.